एनएसक्यूएफ योग्यता फाइल
एनएसक्यूसी की 14वीं बैठक में मंजूरी दी गई – एनसीवीईटी – 30 दिसंबर 2021

योग्यता फ़ाइल – प्रस्तुत करने वाली निकाय का संपर्क विवरण

प्रस्तुत करने वाली निकाय का नाम और पता:

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौशल परिषद, 501,
सिटी सेंटर, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर -12 द्वारका, नई
दिल्ली-110076
011 2808 5058-59
info@scpwd.in

एनसीवीईटी कोड

2021/PWD/SCPWD/04878

योग्यता फाइल प्रस्तुत करने संबंधी कार्य जिनकी देखरेख में हो रहा है उस व्यक्ति का नाम और संपर्क ब्यौरा

नाम: श्री रवींद्र सिंह
संगठन में पद: मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पता यदि ऊपर से भिन्न हो तो: ऊपर के समान
दूरभाष संख्या: + 91-011-2808558-59
ईमेल पता: ravindra.singh@scpwd.in

योग्यता फाइल के समर्थन में जमा किए गए दस्तावेजों की सूची

1. मूल्यांकनकर्ताओं हेतु **वाक् एवं श्रवध बाधित व्यक्तियों** हेतु दिशा-निर्देश
2. सहायक उपकरणों की सूची, प्रशिक्षक पूर्व-आवश्यकताएं और प्रस्तावित विस्तारित घंटों का विवरण।

संलग्न मॉडल पाठ्यक्रम में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए साधन/उपकरणों की सांकेतिक सूची
- प्रशिक्षक की योग्यता
- प्रशिक्षण अवधि का सैद्धांतिक/प्रायोगिक/ओजेटी हिस्सों में वर्गीकरण

NSQC Approved

एनएसक्यूएफ योग्यता फाइल
एनएसक्यूसी की 14वीं बैठक में मंजूरी दी गई – एनसीवीईटी – 30 दिसंबर 2021

योग्यता फाइल सार

1	**योग्यता फाइल शीर्षक**	अचार बनाने वाले तकनीशियन – पीडब्ल्यूडी एसएचआई
2	**योग्यता कोड, यदि कोई हो**	PWD FIC/Q0102 v2.0
3	**एनसीओ कोड और पेशा**	NCO-2004/7414.54
4	**योग्यता की प्रकृति और उद्देश्य (कृपया निर्धारित करें कि योग्यता अल्पकालिक है या दीर्घकालिक है)**	यह एक कम समय में सीखी जाने वाली योग्यता है। इसमें अचार बनाने वाला तकनीशियन फलों और सब्जियों को धोकर, छीलकर, काटकर/टुकड़ा करके, उन्हें साफ कर/नमकीन पानी में डाल कर, मिलाकर, डब्बे में भरने, तेल डालने, पैकेजिंग और भंडारण की प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न प्रकार के फलों और सब्जियों से हर प्रकार का अचार तैयार करता है। इस योग्यता का मुख्य उद्देश्य तकनीशियन को आवश्यकता के अनुसार अचार बनाने के लिए प्रशिक्षित करना है।
5	**निकाय/निकायें जो योग्यता प्रदान करेंगे**	दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौशल परिषद (SCPwD)
6	**निकाय जो योग्यता हेतु पाठ्यक्रमों की पेशकश करने के लिए प्रदाताओं को मान्यता देगा**	दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौशल परिषद (SCPwD)
7	**क्या प्रत्यायन/मान्यता मानदंड पहले से मौजूद हैं या नहीं, यदि लागू हो (यदि हां, तो उसकी एक प्रति संलग्न करें)**	हां
8	**पेशा (पेशे) जिसे इस योग्यता को प्राप्त करने के बाद किया जा सकता है**	प्रसंस्करण
9	**पेशे का कार्य विवरण**	अचार बनाने वाला तकनीशियन फलों और सब्जियों को धोकर, छीलकर, काटकर/टुकड़ा करके, उन्हें साफ कर/नमकीन पानी में डाल कर, मिलाकर, डब्बे में भरने, तेल डालने, पैकेजिंग और भंडारण की प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न प्रकार के फलों और सब्जियों से हर प्रकार का अचार तैयार करने के लिए जिम्मेदार है।
10	**लाइसेंस की आवश्यकता**	लागू नहीं
11	**संबंधित क्षेत्र की वैधानिक और नियामक आवश्यकता (दस्तावेजी साक्ष्य जो प्रदान किया जाना है)**	लागू नहीं

NSQC Approved

12	**एनएसक्यूएफ में योग्यता का स्तर**	3
13	**योग्यता पूरी करने के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण/सीखने की अनुमानित अवधि**	410 घंटे
14	**इस योग्यता को प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण उपकरणों की सांकेतिक सूची**	वॉशर, पीलर, वेजिटेबल कटर / स्लाइसर, ब्लेंडर, पैकेजिंग मशीन, सुरक्षा दस्ताने, हेड कैप्स, लैब कोट, सुरक्षा चश्मा, सुरक्षा जूते, माउथ मास्क, सैनिटाइजर, खाद्य सुरक्षा मैनुअल, क्लीनिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, हाइड्रोक्लोन, सिविंग मशीन, कन्वेयर, ड्राईंग मशीन, पैकेजिंग मशीन, कंप्यूटर/लैपटॉप आदि। व्हाइटबोर्ड, मार्कर, डस्टर, प्रोजेक्टर, लैपटॉप, पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन, ट्रेनिंग किट (ट्रेनर गाइड, प्रेजेंटेशन), व्हाइटबोर्ड, पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन। सहायक सहायता / सेवा, एआई-लाइव, कैप्शन फर्स्ट, कैप्शन 2020, क्लोज्ड कैप, लेट्स टॉक, एलसीडी टीवी, विजुअल पाठ्यक्रम, चेतावनी संकेत और टेप, अग्निशामक, प्राथमिक चिकित्सा किट, प्रासंगिक मानक संचालन प्रक्रियाएं और नमूना रिपोर्ट, पैकेजिंग मशीन, आदि।

NSQC Approved

15	**प्रवेश के लिए अपेक्षाएं और/या सिफारिशें और न्यूनतम आयु**	1. 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या 2. 8वीं कक्षा उतीर्ण और 2 साल का संबंधित क्षेत्र का अनुभव 18 वर्ष
16	**योग्यता से प्रगति (कृपया पेशेवर और शैक्षणिक प्रगति दिखाएं)**	अचार बनाने वाले तकनीशियन (स्तर 3) पर्यवेक्षक-फल और सब्जियां प्रसंस्करण (स्तर 5)
17	**पूर्व शिक्षण को मान्यता प्रदान करने (आरपीएल) हेतु व्यवस्था**	आरपीएल निर्धारण एससीपीडब्ल्यूडी निर्धारण प्रक्रिया के अनुसार होगा।
18	**अंतर्राष्ट्रीय तुलनीयता जहां ज्ञात हो (अनुसंधान साक्ष्य उपलब्ध कराए जाएं)**	स्थापित की जाएगी
19	**योग्यता की योजनाबद्ध समीक्षा की तारीख**	एनएसक्यूसी अनुमोदन से 3 वर्ष
20	**योग्यता का औपचारिक ढांचा अनिवार्य घटक**	

NSQC Approved

एनएसक्यूएफ योग्यता फाइल
एनएसक्यूसी की 14वीं बैठक में मंजूरी दी गई – एनसीवीईटी – 30 दिसंबर 2021

इकाई या अन्य घटक का शीर्षक (इस्तेमाल किया गया कोई भी पहचान कोड शामिल करें)	अनिवार्य/वैकल्पिक	अनुमानित अवधि (सीखने के घंटे)		स्तर
		सैद्धांतिक	प्रायोगिक	
भारतीय सांकेतिक भाषा में संचार और प्रवाह (ब्रिज मॉड्यूल पीडब्ल्यूडी)	अनिवार्य	15	15	
कार्यात्मक / अंग्रेजी शब्दावली विकसित करना (ब्रिज मॉड्यूल पीडब्ल्यूडी)	अनिवार्य	25	15	
स्वयं और परिवेश को समझना (ब्रिज मॉड्यूल पीडब्ल्यूडी)	अनिवार्य	08	02	
कार्य संबंधित प्रशिक्षण (ब्रिज मॉड्यूल पीडब्ल्यूडी)	अनिवार्य	08	02	

प्रशिक्षण कार्यक्रम का परिचय	अनिवार्य	06	10	
FIC/N0105 अचार बनाने के लिए कार्य क्षेत्र और प्रसंस्करण मशीन तैयार करना और उनका रखरखाव करना	अनिवार्य	10	30	4
FIC/N0106 अचार बनाने की तैयारी	अनिवार्य	10	20	4
FIC/N0107 अचार बनाना	अनिवार्य	30	65	4
FIC/N0108 अचार बनाने से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज़ीकरण और रिकॉर्ड रखना	अनिवार्य	14	15	4
FIC/N9001 खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए खाद्य सुरक्षा, सफाई और स्वच्छता	अनिवार्य	20	50	4
रोजगार और उद्यमिता कौशल	अनिवार्य	28	12	
कुल अवधि		410		

NSQC Approved

भाग 1 मूल्यांकन

21	**मूल्यांकन करने वाली निकाय/निकायें:** • मर्सर मेट्टल • रेडियंट इन्फोनेट प्रा. लिमिटेड • स्किल मंत्र मूल्यांकन एजेंसियों की सूची ऊपर तक सीमित नहीं है और इसे एससीपीडब्ल्यूडी के साथ उनके पैनल में शामिल होने और डोमेन एसएससी के साथ-साथ एससीपीडब्ल्यूडी से कार्य की भूमिका के लिए प्रमाणित निर्धारक होने के आधार पर बढ़ाए जा सकते हैं।
22	**आरपीएल मूल्यांकन कैसे पूरा किया जाएगा और इसे कौन करेगा?** आरपीएल योग्यता पैक में उल्लिखित समान अनुमोदित योग्यता पैक और मूल्यांकन मानदंड पर आधारित होगा। आरपीएल मूल्यांकन उसी तरह किया जाता है जैसे नए प्रशिक्षण के लिए मूल्यांकन किया जाता है।

NSQC Approved

23	**मूल्यांकन प्रकिया** **ध्यान दें:** एससीपीडब्ल्यूडी डोमेन एसएससी के मानदंड को अपनाता है और एए द्वारा मूल्यांकन किया जाता है जोकि डोमेन एसएसी द्वारा अनुमोदित होते हैं और साथ ही एससीपीडब्ल्यूडी के साथ पैनलबद्ध होते हैं। एससीपीडब्ल्यूडी ने दृष्टीहीन, कमजोर दृष्टि, **वाक् और श्रवण बाधित** व्यक्तियों हेतु मूल्यांकन दिशा-निर्देश विकसित की है जिससे मूल्यांकनकर्ता को उम्मीदवारों के मूल्यांकन के दौरान मदद मिलती है। एससीपीडब्ल्यूडी मूल्यांकनकर्ताओं हेतु प्रशिक्षण आयोजित करती है और उन्हें दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति अभिमुखीकरण और संवेदनशीलता प्रदान करती है। मूल्यांकन के लिए एससीपीडब्ल्यूडी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया: एक क्षैतिज परिषद होने के नाते, मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा डोमेन एसएससी द्वारा साझा की गई मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए आवश्यक शर्तें अनिवार्य रूप से पालन की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, उन्हें एससीपीडब्ल्यूडी के दिशानिर्देशों का भी पालन करना होगा। नीचे संक्षेप में मूल्यांकन प्रक्रिया दी गई है: **पूर्व-मूल्यांकन चरण-** 1. एससीपीडब्ल्यूडी द्वारा पोर्टल/ईमेल के माध्यम से मूल्यांकन एजेंसी को बैच आवंटित की जाती है। 2. मूल्यांकन एजेंसी प्रशिक्षण प्रदाता से संपर्क करती है और ईमेल के माध्यम से मूल्यांकन की तारीख की सूचना दी जाती है/पुष्टि की जाती है। 3. मूल्यांकन एजेंसी टीपी के साथ अपेक्षित लैब इंफ्रास्ट्रक्चर और जांचसूची साझा करती है और ईमेल के माध्यम से उपलब्धता के बारे में चर्चा करती है। 4. मूल्यांकन एजेंसी मूल्यांकन के लिए मूल्यांकनकर्ता को संरेखित करती है (मूल्यांकनकर्ता डोमेन एसएससी के साथ-साथ एससीपीडब्ल्यूडी द्वारा दोहरा प्रमाणित होना चाहिए, और प्रमाणपत्र वैध होना चाहिए)। 5. आकलन लिंक, प्रारूप तैयार किया जाता है और ईमेल पर मूल्यांकनकर्ता के साथ साझा किया जाता है। 6. मूल्यांकन डेमो लिंक को प्रशिक्षण भागीदार के साथ ईमेल पर साझा किया जाता है। मूल्यांकन चरण **-** 1. आधार कार्ड और दिव्यांगता प्रमाण पत्र के माध्यम से पहचान और अक्षमता की पुष्टि करता है और किसी भी विसंगति के मामले में एससीपीडब्ल्यूडी को रिपोर्ट करता है [जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्य के मामले में भी मतदाता पहचान पत्र और पैन कार्ड से उम्मीदवारों की पहचान की जाती है]।

NSQC Approved

2. उम्मीदवारों को मूल्यांकन प्रक्रिया (मूल्यांकन शुरू होने से पहले) के बारे में जानकारी दी जाती है।
3. मूल्यांकनकर्ता प्रयोगशाला के उपकरण की जांच करता है और किसी भी भिन्नता के मामले में एससीपीडब्ल्यूडी को रिपोर्ट करता है।
4. प्रत्येक उम्मीदवार के लिए फोटो पहचान पत्र के सत्यापन के बाद, योजना अर्थात पीएमकेवीवाई की आवश्यकता के अनुसार उम्मीदवार की उपस्थिति दर्ज की जाती है। आधार सक्षम निर्धारक आवेदन के माध्यम से उम्मीदवारों की उपस्थिति दर्ज की जाती है, हालांकि, अन्य योजनाओं के तहत उम्मीदवार उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर करते हैं।
5. उम्मीदवार टीएबी/कंप्यूटर सिस्टम पर मूल्यांकन का प्रयास करते हैं।
6. मूल्यांकनकर्ता संबंधित गतिविधियों की तस्वीरें और वीडियो लेते हैं और दस्तावेजीकरण औपचारिकताओं को पूरा करते हैं।

मूल्यांकन पश्चात चरण-

1. मूल्यांकन एजेंसी सर्वर में कैप्चर की गई प्रतिक्रियाओं के आधार पर परिणाम तैयार करती है।
2. मूल्यांकन एजेंसी एससीपीडब्ल्यूडी के साथ निर्धारित प्रारूप में परिणाम साझा करती है।

NSQC Approved

भाग 2 आवश्यकता का साक्ष्य

इस बात का क्या सबूत है कि योग्यता की आवश्यकता है?

उद्योग, प्रशिक्षण भागीदारों, विशेषज्ञों की मांग और स्वयं वाक् एवं श्रवण बाधित व्यक्तियों के विचारों के आधार पर वाक् एवं श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए कार्य भूमिका का चयन किया गया और उन्हें मैप किया गया है।

योग्यता की अनुमानित वृद्धि क्या है और इस अनुमान का आधार क्या है?

भारतीय खाद्य उद्योग प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य व्यापार में अपने बढ़ते योगदान के साथ भारी वृद्धि कर रहा है। भारत में, खाद्य क्षेत्र खासतौर पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जैसे कि छंटाई, श्रेणीकरण और पैकेजिंग जिससे खाद्य उत्पाद की उपयोगिता जीवन बढ़ती है, जैसी प्रक्रियाओं सहित कृषि, बागवानी या पशु उत्पाद सहित के भीतर मूल्य वृद्धि हेतु अपनी अपार संभावना के कारण एक उच्च-वृद्धि और उच्च लाभ वाले क्षेत्र के रूप में उभर रही है।

लगभग 80% दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एफपीआई) में ग्रामीण आजीविका को बढ़ाने की क्षमता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एफपीआई) में पारंपरिक रूप से असंगठित क्षेत्र का दबदबा है, जबकि बहु-राष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश से उद्योग में संगठित क्षेत्र का विकास हो रहा है। उद्योग की वृद्धि के साथ-साथ गुणवत्ता मानकों की मांग और विनिर्माण क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अपनाने से इस क्षेत्र में नए कौशल और कौशल उन्नयन की आवश्यकता बढ़ रही है।

वर्ष 2022 तक, एफपीआई से लगभग 4.40 मिलियन अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। सहकारी संगठनों की तुलना में निजी कंपनियों के पास मार्केटिंग कार्यों में अधिक संसाधन होते हैं। इस उप-क्षेत्र में बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ-साथ दिव्यांग महिलाओं को रोजगार मिल सकता है। वे अचार, पापड़ या जैम बनाने वाले एमएसएमई या सहकारी संगठनों में काम कर रही हैं। पीडब्ल्यूडी एफपीआई का हिस्सा रहा है, हालांकि इनकी संख्या बहुत अधिक नहीं है। कुछ कुशल और पेशेवर रूप से प्रशिक्षित दिव्यांग व्यक्तियों ने कंपनियों में सीधे नौकरी पाई है। कुछ अन्य, जिन्होंने औपचारिक संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, ने प्रशिक्षण और आजीविका के अवसर के लिए गैर सरकारी संगठनों का सहयोग प्राप्त किया है और कुछ लोगों को निजी क्षेत्र की कंपनियों में प्लेसमेंट मिली है। कुछ गैर सरकारी संगठनों के उत्पादन केंद्र हैं (जिन्हें "आश्रय कार्यशाला" भी कहा जाता है) जो खाद्य उत्पादों सहित विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाते हैं। एफपीआई में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अवसरों के कुछ उदाहरण हैं निजी कंपनियों की पहलें जैसे कि घरेलू मसालों में नामी शक्ति मसाला जिसने लगभग 200 दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार दिया है, जो उनके कुल कर्मचारियों की संख्या का लगभग 32% है।

गैर सरकारी संगठनों में उत्पादन इकाइयाँ: दिव्यांगता क्षेत्र में कई अनौपचारिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ मौजूद हैं जो मुख्य रूप से विभिन्न राज्यों में गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाई जाती हैं। भारतीय खाद्य और किराना बाजार खुदरा बिक्री में 70 प्रतिशत का योगदान के साथ दुनिया का छठा सबसे बड़ा बाजार है।

भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग देश के कुल खाद्य बाजार का 32 प्रतिशत हिस्सा है, जो भारत के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है और उत्पादन, खपत, निर्यात और अपेक्षित वृद्धि के मामले में पांचवें स्थान पर है। भारत में ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग बिजनेस अपने शुरुआती चरण में है, लेकिन तेजी से बढ़ रहा है।

फ़ूड पांडा, ज़ोमैटो, टाइनीऑउल और स्विगी जैसे ऑनलाइन फ़ूड डिलीवरी कंपनियों के साथ साझेदारी के माध्यम से, संगठित खाद्य व्यवसाय में एक बड़ी संभावना और एक आशाजनक भविष्य है। सभी को ध्यान में रखते हुए, इस क्षेत्र में आने वाले अवसरों के लिए पीडब्ल्यूडी युवाओं को कौशल प्रदान करने की अत्यधिक आवश्यकता है।

NSQC Approved

27	**सरकार के संबंधित प्रभारी मंत्रालय/विनियामक निकाय की सिफारिश। दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें।** संलग्न
28	**यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए कि योग्यताएं एनएसक्यूएफ में पहले से मौजूद या नियोजित योग्यताओं का दोहराव नहीं हैं? डुप्लीकेट योग्यता प्रस्तुत करने का औचित्य बताएं** डोमेन एसएससी द्वारा दोहराव न हो इसे सुनिश्चित किया गया है।
29	**योग्यताओं की निगरानी और समीक्षा करने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? किस डेटा का उपयोग किया जाएगा और किस बिंदु पर योग्यता को संशोधित या अद्यतन किया जाएगा? यहां समीक्षा प्रक्रिया निर्दिष्ट करें** अचार बनाने वाले तकनीशियन के लिए योग्यता पैक को उद्योग में दिव्यांग व्यक्तियों की मांग के आधार पर अपनाया गया था। एससीपीडब्ल्यूडी दिव्यांगता विशिष्ट एक्सपोजिटरी विकसित करता है जिसमें विशिष्ट दिव्यांगता के लिए उपकरण/तकनीकी/सहायक उपकरण पर विस्तृत जानकारी शामिल है। क्षेत्र में हो रही नई प्रगतियों को शामिल करने के लिए डोमेन एसएससी द्वारा क्यूपी को लगातार अंतराल पर संशोधित किया जाता है। इसी तरह, शिक्षार्थियों के अलावा प्रशिक्षकों के साथ-साथ मूल्यांकनकर्ताओं की सुविधा के लिए विशिष्ट दिव्यांगता से संबंधित में भावी विकास / नवाचारों पर अपडेट प्राप्त करने के लिए एक्सपोजिटरी की भी समीक्षा और संशोधन किया जाता है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि जब और जब डोमेन एसएससी क्यूपी को संशोधित करता है तो संबंधित कार्य भूमिका में एससीपीडब्ल्यूडी द्वारा संबंधित स्वीकार्यता और अद्यतन किया जाता है।

NSQC Approved

अनुलग्नक 1: वाक् एवं श्रेवण बाधित व्यक्तियों के मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश

सभी श्रेणी के दिव्यांगों के प्रशिक्षुओं के मूल्यांकन के लिए सामान्य दिशानिर्देश

- मूल दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ उम्मीदवार की दिव्यांगता के प्रकार की पुष्टि करें (कृपया ध्यान दें: पीएमकेवीवाई में, बैच में एक से अधिक दिव्यांगता वाले उम्मीदवार नहीं होने चाहिए और दिव्यांगता का प्रकार वही होना चाहिए जो एसडीएमएस में प्रदान किया गया है)।
- खुलकर सवाल पूछें। कुछ भी मानकर नहीं चलें। उदाहरण के लिए, अपने दिव्यांग प्रशिक्षुओं से पूछें कि क्या उन्हें प्रदान किए गए मूल्यांकन सेटअप के प्रकार में किसी बदलाव की आवश्यकता है।
- डोमेन एसएससी द्वारा निर्धारित मानदंडों से समझौता किए बिना प्रायोगिक भाग सहित अपने आकलन को व्यक्ति-विशिष्ट बनाने के लिए तैयार रहें।
- उम्मीदवार को वांछित सहायक उपकरण प्रदान करें जो उम्मीदवार से उम्मीदवार में भिन्न हो सकते हैं।
- यह समझें कि प्रत्येक दिव्यांग प्रशिक्षु की अपनी समस्याएं होती हैं: उनके लिए चिह्नित समाधान हो सकते हैं जो उनके लिए सबसे बेहतर हों। यह अपेक्षा न करें कि आपके दिव्यांग प्रशिक्षार्थी उन्हीं प्रक्रियाओं और समान कठोरता गुजर सकते हैं जिससे आपके सामान्य प्रशिक्षु गुजर सकते हैं।
- याद रखें कि आपके दिव्यांग प्रशिक्षु सामान्य प्रशिक्षुओं के साथ काम करने जा रहे हैं।
- सहानुभूति प्रकट करना, छोटा करना या मानकों को कम करना उद्देश्य को विफल कर देगा।
- घंटे अतिरिक्त 20 मिनट की सिफारिश की जाती है। उम्मीदवार की परिस्थितियों/आवश्यकता के अनुसार इसे और बढ़ाया जा सकता है (विवरण के लिए कृपया एमएसजेई द्वारा विकसित परीक्षा दिशानिर्देश देखें)।
- किसी भी ऐसे व्यक्ति को लिपिक/लेखक/पाठक/प्रयोगशाला सहायक की सेवाओं की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसकी दिव्यांगता 40% या उससे अधिक हो, यदि वह ऐसा चाहता है।
- मूल्यांकन कक्ष के अंदर उम्मीदवार के सामान्य आराम को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- प्राधिकारणों द्वारा जारी किए गए स्वास्थ्य / सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करें।

विशिष्ट दिशानिर्देश

- श्रवण बाधित व्यक्ति से तब तक ऊंची आवाज में बात न करें जब तक कि वे आपसे ऐसा करने का अनुरोध न करें। सामान्य स्वर में बात करें लेकिन सुनिश्चित करें कि आपके होंठ उन्हें दिखाई दे रहे हैं।
- बातचीत को स्पष्ट रखें और बैकग्राउंड में अनावश्यक शोर को कम करने का प्रयास करें।
- यदि आपसे कोई अपनी बात को दोहराने के लिए कहता है और आप जबाब देते हैं कि "कुछ नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है" इसका मतलब है कि आप उस व्यक्ति को इतना महत्व नहीं दे रहे कि अपनी बात को दोहराएं। यह नीचा दिखाने वाली बात हुई। इसलिए धैर्य रखें और अपनी बात को उनके लिए दोहराएं।
- बोलते समय अपने चेहरे को रोशनी के स्रोत की ओर करके और चीजों (जैसे कि अपने हाथ) को अपने मुंह से दूर रखकर दिखाएं कि आप ध्यान दे रहे हैं
- दुभाषिया या व्यक्ति के साथ आने वाले किसी अन्य व्यक्ति को देखने के बजाय सीधे देखें और सीधे उस व्यक्ति से बात करें।
- यह पता लगाने के लिए व्यक्ति के संकेतों का पालन करें कि क्या वे सांकेतिक भाषा, हावभाव, लेखन या बोलना पसंद करते हैं।
- सुनिश्चित करें कि कमरे में बेहतर रोशनी है ताकि छात्र आपके चेहरे के भाव, संकेत और/या होंठ पढ़ सकें।
- बेहतर समझ के लिए प्रश्न पत्र में अधिक दृश्य/चित्र होने चाहिए

अनुलग्नक 2: सहायक उपकरण, प्रशिक्षक पूर्व-आवश्यकताएं और प्रस्तावित विस्तारित घंटों का विवरण

प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए उपकरणों/उपकरणों की सूची

वाक् एवं श्रेवण बाधित व्यक्तियों के प्रशिक्षण के दौरान निम्नलिखित में से किसी भी उपकरण का उपयोग किया जा सकता है:

- सहायक सहायता/सेवा
- ऐ-लाइव
- कैप्शन फर्स्ट
- कैप्शन 2020
- क्लोज्ड कैप
- आइए बात करें
- एलसीडी टीवी
- दृश्य पाठ्यक्रम
- कंप्यूटर

कृपया ध्यान दें कि वाक् और श्रवण बाधित प्रशिक्षण के संचालन के लिए एससीपीडब्ल्यूडी एक अनिवार्य मानव संसाधन के रूप में भारतीय सांकेतिक भाषा दुभाषिया (आईएसएल) की सिफारिश करता है।

प्रशिक्षक की योग्यता

न्यूनतम शैक्षिक योग्यता: डोमेन एसएससी के अनुसार। असाधारण प्रासंगिक क्षेत्र के अनुभव के मामले में योग्यता में छूट दी जा सकती है।
अनुभव: डोमेन एसएससी के अनुसार।

डोमेन एसएससी के अलावा (उपरोक्त अनुसार) प्रशिक्षक के लिए दिव्यांगता विशिष्ट अतिरिक्त अपेक्षाएं हैं: दिव्यांगता विशिष्ट टॉप अप मॉड्यूल: समावेशी प्रशिक्षक एससीपीडब्ल्यूडी द्वारा दिव्यांगता विशिष्ट टॉप अप प्रशिक्षण / क्यूपी में एससीपीडब्ल्यूडी दिशानिर्देशों के अनुसार 80% न्यूनतम स्वीकृत स्कोर के साथ प्रमाणित होना चाहिए चाहिए। वाक् और श्रवण बाधित व्यक्तियों के प्रशिक्षण, परामर्श और प्लमेसमेंट के दौरान भारतीय सांकेतिक भाषा दुभाषिया अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर (ISLRTC) या अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसएबिलिटीज (दिव्यांगजन) (AYJNISHD (D)) द्वारा प्रमाणन वांछनीय होगा।

अनुभव: सांकेतिक भाषा दुभाषिया के लिए प्रशिक्षण के अपने क्षेत्र में 2/3 वर्ष का अनुभव वांछनीय होगा।

NSQC Approved

प्रशिक्षण अवधि

पूर्व प्रशिक्षण/फाउंडेशन पाठ्यक्रम का विवरण:

	मॉड्यूल	सैद्धांतिक (घंटे)	प्रायोगिक (घंटे)	कुल (घंटे)
1	भारतीय सांकेतिक भाषा में संचार और प्रवाह	15	15	30
2	कार्यात्मक / अंग्रेजी शब्दावली विकसित करना	25	15	40
3	स्वयं और परिवेश को समझना	08	02	10
4	कार्य संबंधित प्रशिक्षण	08	02	10
कुल योग		56	34	90

NSQC Approved